(67)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 364-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 08-01-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक अपील/404/2014-15

मुमताज बी पति स्व. शाह मोहम्मद
निवासी ग्राम बिरोदा तहसील व जिला बुरहानपुर .....आवेदिका

विरूद्ध

बरकत उल्ला पिता इनायत उल्ला अंसारी
निवासी 299 मोमिनपुरा तहसील व जिला बुरहानपुर .....अनावेदक

श्री हेमंत मूंगी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 08-01-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम बिरोदा की भूमि सर्वे नम्बर 1573 रकबा 0.100 हैक्टेयर मूल भूमिस्वामी मोहम्मद साहब पिता अब्दुला साहब से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 23-9-1996 को क्रय की है अत: उक्त भूमि पर अनावेदक का नाम दर्ज किया जावे । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाव प्रस्तुत कर उक्त विक्रय पत्रकूटरचित एवं झूठा दस्तावेज बताया एवं नामान्तरण आवेदन पत्र

निरस्त करने का निवेदन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-7-05 के आधार पर आवेदक का नामान्तरण हुआ है, एक बार नामान्तरण होने पर उसी भूमि पर दुबारा अनावेदक का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता, अनावेदक का नामान्तरण आवेदन निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12-8-2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8-1-2016 को आदेश पारित कर अपील समाप्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष विधिक बिन्दु के संबंध में निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोसेडिंग आदेश पारित करते हुये बिना निष्कर्ष दिये आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आलोच्य, आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पारित किया होना प्रतीत होता है जबकि आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के चरण 1 में यह उल्लेख किया है कि अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी पेश करने के हकदार नहीं होगे किन्तु यदि (ख) अपीलीय न्यायालय किसी दस्तावेज को पेश किये जाने की या किसी साक्षी की परीक्षा किये जाने जाने की या तो स्वयं निर्णय सुनाने के समर्थ होने के लिये या किसी सारवान या किसी अन्य सारवान हेतुक के लिये करें तो अपील न्यायालय ऐसे साक्ष्य का लिया जाना या दस्तवेज का पेश किया जाना या साक्षी की परीक्षा लिया जाना अनुज्ञात कर सकेगा । इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत नवीन संशोधित प्रावधानों के तहत साक्ष्य ली जाना चाहिये थी तत्पश्चात् विधिवत आदेश पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य अंकित न कर आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा निगरानी

स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा आवेदकपक्ष के पति से प्रश्नाधीन भूमि क्रय की गई थी । तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकपक्ष के पति के स्थान पर आवेदक के पक्ष में नामान्तरण वर्ष 2005 में हो चुका है तथा प्रश्नाधीन भूमि पर दोबारा नामान्तरण संभव नहीं है। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार की जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करने हेतु आदेश दिये गये तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक के नाम प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया । जिसकी द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने आवेदकपक्ष द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किया जा चुका है और व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी होते हैं इसलिये व्यवहार न्यायालय के आदेश के अनुरूप राजस्व न्यायालय प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रकरण में कार्यवाही आगामी करेगा इसलिये प्रश्नाधीन भूमि के नामान्तरण के संबंध में अपील में कोई आदेश पारित नहीं किये जाने के कारण अपील प्रकरण समाप्त की गई है, अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-1-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर